भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4583

23 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थी

4583. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य-वार वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ड.) क्या सरकार ने देश में स्वचालित खाद्यान्न डिस्पेंसिंग मशीनें लगाने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या बताने वाला विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख) और (ग): फिलहाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार किसी राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना, उस जनगणना के अनुसार आबादी अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं।

......2/-

(घ): भंडारण बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने देश में पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पद्धति से स्टील साइलोज के निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। विभिन्न स्थानों पर 30.75 लाख टन क्षमता के साइलोज का कार्य सौंप दिया गया है, जिसमें से 8.25 लाख टन क्षमता पूर्ण हो गई है और शेष पूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं में है। इसके अलावा, पीपीपी पद्धति से 35.875 लाख टन साइलो क्षमता हब और स्पोक मॉडल के अधीन प्रस्तावित है। मौजूदा परम्परागत गोदामों के आधुनिकीकरण, खाद्य भंडारण गोदामों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण, कलर कोटेड प्रोफाइल शीट रूफिंग और रखरखाव कार्य का प्रावधान शामिल करके किया जा रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम भांडागारों की मरम्मत/रखरखाव तथा उन्नयन का कार्य नियमित रूप से करता है। आधुनिकीकरण की कुछ पहलों में (क) एसबेसटॉस के स्थान पर गेलवाल्यूम शीटों का उपयोग करना (ख) रोशनी के लिए ट्रांसल्यूसेंट शीटों का उपयोग करना (ग) टर्बो वेंटीलेटरों का उपयोग करना (घ) सीमेंट की सड़क आदि शामिल है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास दिनांक 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराए की क्षमता, दोनों) का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ड.): संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएन- डब्लयूएफपी) इस विभाग के सहयोग से पायलट आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्यान्न वितरण (डिस्पेंसिंग) मशीन का विकास करने की प्रक्रिया में है।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4583 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्यवार आशयित कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के तहत व्यक्तियों की स्वीकृत संख्या (लाख में)		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	आंध्र प्रदेश	200.2	68.03	268.23
2	अरूणाचल प्रदेश	7.09	1.62	8.71
3	असम	225.41	26.49	251.90
4	बिहार	783.74	87.42	871.16
5	छत्तीसगढ़	165.16	35.61	200.77
6	दिल्ली	1.58	71.2	72.78
7	गोवा	2.3292	2.9926	5.3218
8	गुजरात	258.78	124.06	382.84
9	हरियाणा	90.28	36.21	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	34.68	2.14	36.82
11	झारखंड	216.52	47.73	264.25
12	कर्नाटक	285.55	116.38	401.93
13	केरल	91.87	62.93	154.8
14	मध्य प्रदेश	420.83	125.59	546.42
15	महाराष्ट्र	469.72	230.45	700.17
16	मणिपुर	17.91	7.15	25.06
17	मेघालय	18.43	3.03	21.46
18	मिजोरम	4.33	2.73	7.06
19	नागालैंड	11.23	3.56	14.79
20	ओडिशा	287.19	39.02	326.21
21	पंजाब	94.879	46.634	141.51
22	राजस्थान	356.09	90.53	446.62
23	सिक्किम	3.45	0.61	4.06
24	तमिलनाडु	232.62	132.08	364.7
25	तेलंगाना	143.08	48.62	191.70
26	त्रिपुरा	20.258	4.76	25.02
27	उत्तर प्रदेश	1234.1	286.52	1520.6
28	उत्तराखंड	45.849	16.09	61.94
29	पश्चिम बंगाल	463.31	138.53	601.84
30	अंडमान व निकोबार	0.61	0.02	0.63
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.70	1.85	3.56
32	लक्षद्वीप	0.05	0.17	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.11	4.85	4.96
34	पुदुच्चेरी (डीबीटी)	2.35	3.99	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	56.87	15.82	72.69
36	लद्दाख	1.18	0.26	1.4391
योग		6249.34	1885.68	8135.00

*****

अनुबंध-2

लोक सभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4583 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	राज्य	एफसीआई के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की/किराये की)							खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों (भाखानि को दी गई भंडारण क्षमताओं को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता		सकल योग		
			कवर्ड		कैप		योग		सकल योग	राज्य एजेंसियां				
			अपनी	किराये की	अपनी	किराये की	कवर्ड	कैप	कवर्ड एवं कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड एवं कैप
पूर्व	1	बिहार	3.66	6.69	1.00	0.00	10.35	1.00	11.35	4.26	0	14.61	1.00	15.61
	2	झारखंड	0.67	3.28	0.05	0.00	3.95	0.05	4.00	0.00	0	3.95	0.05	4.00
	3	ओडिशा	3.12	2.47	0.00	0.00	5.59	0.00	5.59	6.50	0	12.09	0.00	12.09
	4	पश्चिम बंगाल	8.40	1.12	0.51	0.00	9.52	0.51	10.03	9.16	0	18.68	0.51	19.19
	5	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.12	0	0.23	0.00	0.23
उत्तर पूर्व	6	असम	3.00	1.05	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	0	4.05	0.00	4.05
	7	अरूणाचल प्रदेश	0.32	0.01	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0	0.33	0.00	0.33
	8	मेघालय	0.13	0.09	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0	0.22	0.00	0.22
	9	मिजोरम	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0	0.25	0.00	0.25
	10	त्रिपुरा	0.36	0.08	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0	0.44	0.00	0.44
	11	मणिपुर	0.48	0.04	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0	0.52	0.00	0.52
	12	नागालैंड	0.33	0.13	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0	0.46	0.00	0.46
उत्तर	13	दिल्ली	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	0	2.85	0.00	2.85
	14	हरियाणा	7.48	50.48	3.33	2.59	57.96	5.92	63.88	36.71	31.10	94.67	37.02	131.69
	15	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.56	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0	0.78	0.00	0.78
	16	जम्मू एवं कश्मीर	1.03	1.64	0.10	0.00	2.67	0.10	2.77	0.00	0	2.67	0.10	2.77
	17	पंजाब	22.24	89.92	7.31	4.90	112.16	12.21	124.37	46.80	55.00	158.96	67.21	226.17
	18	चंडीगढ़	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0	0.06	0.00	0.06
	19	राजस्थान	7.20	11.36	1.85	0.00	18.56	1.85	20.41	0.00	0	18.56	1.85	20.41
	20	उत्तर प्रदेश	15.15	34.02	5.19	0.00	49.17	5.19	54.36	0.00	0	49.17	5.19	54.36
	21	उत्तराखंड	0.60	1.03	0.21	0.00	1.63	0.21	1.84	0.55	0	2.18	0.21	2.39
दक्षिण	22	आंध्र प्रदेश	7.29	4.22	1.60	0.00	11.51	1.60	13.11	30.38	0	41.89	1.60	43.49
	23	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.10	0	0.17	0.00	0.17
	24	तेलंगाना	5.37	9.43	1.02	0.00	14.80	1.02	15.82	0.43	0	15.23	1.02	16.25
	25	केरल	5.29	0.13	0.21	0.00	5.42	0.21	5.63	0.52	0	5.94	0.21	6.15
	26	कर्नाटक	3.81	4.57	1.36	0.00	8.38	1.36	9.74	0.61	0	8.99	1.36	10.35
	27	तमिलनाडु	5.80	8.27	0.25	0.00	14.07	0.25	14.32	15.29	0	29.36	0.25	29.61
	28	पुदुच्चेरी	0.44	0.00	0.06	0.00	0.44	0.06	0.50	0.00	0	0.44	0.06	0.50
पश्चिम	29	गुजरात	4.05	2.32	0.27	0.00	6.37	0.27	6.64	0.47	0	6.84	0.27	7.11
	30	महाराष्ट्र	8.68	10.31	1.02	0.00	18.99	1.02	20.01	0.32	0	19.31	1.02	20.33
	31	गोवा	0.15	0.05	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0	0.20	0.00	0.20
	32	मध्य प्रदेश	3.37	4.56	0.36	0.00	7.93	0.36	8.29	122.34	30.78	130.27	31.14	161.41
	33	छत्तीसगढ़	5.12	3.79	0.01	0.00	8.91	0.01	8.92	16.12	0	25.03	0.01	25.04
		योग	127.03	251.69	25.71	7.49	378.72	33.20	411.92	290.68	116.88	669.40	150.08	819.48
			378.72		33.20		411.92		411.92	407.56		819.48		819.48

*****